

UPKN010060352026



न्यायालय विशेष न्यायाधीश (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति)
(अत्याचार निवारण) अधिनियम, कानपुर नगर।

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या 2065/2026

सरकार बनाम मनोरमा शर्मा

अपराध संख्या-26/2025

धारा-420, 467, 468, 471 भा0 दं0 सं0

थाना-रावतपुर, कानपुर नगर।

दिनांक-03.07.2026

जमानत प्रार्थनापत्र पेश हुआ। पुकार पर अभियुक्ता मनोरमा शर्मा की ओर से विद्वान अधिवक्ता उपस्थित है। अभियुक्ता मनोरमा शर्मा की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र पर बल न देने के आधार पर निस्तारित किये जाने की याचना की गयी तथा इसी आशय का पृष्ठांकन जमानत प्रार्थनापत्र पर किया गया है। अतः अभियुक्ता मनोरमा शर्मा की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र पर बल न दिये जाने के आधार पर जमानत प्रार्थनापत्र निस्तारित किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त मनोरमा शर्मा की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र बल न दिये जाने के आधार पर निस्तारित किया जाता है।

(शुचि श्रीवास्तव)

(ID-UP6109)

विशेष न्यायाधीश, (अनुसूचित जाति/अनुसूचित
जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम),
कानपुर नगर।

दिनांक-03.07.2026